इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट

कॉरपोरेशन निगम (ग्वालियर) एम.पी लिमिटेड

बनाम

कमिशनर ऑफ इन्कम टेक्स, ग्वालियर

(सिविल अपील संख्या 6262 की 2010) 16 फरवरी, 2018

[आर. के.के अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, ऩ्यायमूर्तिगण]

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 12-ए और धारा 12-एए (3) - सीआईटी द्वारा अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करना - अपीलकर्ता-कंपनी की शक्ति - अपीलकर्ता-कंपनी ने पंजीकरण प्रदान करने के लिए आयकर आयुक्त (सीआईटी) को धारा 12-ए के तहत आवेदन दायर किया - पंजीकरण प्रमाण पत्र सीआईटी द्वारा दिनांक 13.04.1999 के आदेश के तहत प्रदान किया गया था - हालांकि, 27.11.2000 को सीआईटी ने पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। सीआईटी ने दिनांक 29.04.2002 के आदेश द्वारा प्रमाण पत्र को रद्द /वापस ले लिया - अपीलकर्ता ने सुधार आवेदन दायर किया और तर्क दिया कि सीआईटी के पास प्रमाण पत्र को रद्द करने/वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है - सीआईटी ने रद्द करने के आदेश को कानूनी और उचित माना - पीड़ित, अपीलकर्ता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील दायर की, जिसने सीआईटी के आदेश को रद्द कर दिया - हालांकि, उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के आदेश को रद्द कर दिया और सीआईटी के आदेश को बहाल कर दिया और कहा कि चूंकि ऐसा है। अधिनियम की धारा 12-क के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है और इसलिए रद्द करने की शक्ति का पता सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 से नहीं लगाया जा सकता है ताकि ऐसे आदेश का समर्थन किया जा सके - औचित्य: उचित नहीं - अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो सीआईटी को धारा 12-ए के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने की शक्ति प्रदान करता हो और रद्द करने की ऐसी शक्ति का उपयोग सीआईटी द्वारा केवल 01.10.2004 को और उसके बाद किया जा सकता है। वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2004 द्वारा धारा 12 एए (3) के तहत - सीआईटी द्वारा धारा 12-ए के तहत पारित आदेश एक अर्ध न्यायिक आदेश है और प्रकृति में अर्ध-न्यायिक होने के नाते, इसे सीआईटी द्वारा केवल तभी वापस लिया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए अधिनियम के तहत उसे स्पष्ट शक्ति निहित हो - तत्काल मामले में, ऐसी कोई व्यक्त शक्ति नहीं थी - सीआईटी का आदेश उल्लिखित "आदेशों" की श्रेणी में नहीं आता है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 में - धारा 21 में नियोजित "आदेश" शब्द यह दर्शाता है कि ऐसा "आदेश" "अधिसूचना", "नियम" और

"उप-नियम" - आदेश, जिसे सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को लागू करके संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, प्रकृति में या तो कार्यकारी या विधायी होना चाहिए, जबकि आदेश, जिसे सीआईटी को धारा 12-ए के तहत पारित करने की आवश्यकता होती है, न तो विधायी है और न ही कार्यकारी आदेश है, बल्कि यह एक अर्ध न्यायिक आदेश है - यह इस कारण से है, धारा 21 का तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं है - आईटीएटी का आदेश बहाल - सामान्य खंड अधिनियम - धारा 21 - वित्त (संख्या -2) अधिनियम 2004।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा: 1. सीआईटी के पास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के तहत कर निर्धारिती को दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को 01.10.2004 तक रद्द करने की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं थी। यही कारण है कि अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो सीआईटी को अधिनियम की धारा 12क के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने की शक्ति प्रदान करता हो। दूसरा, सीआईटी द्वारा धारा 12ए के तहत पारित आदेश एक अर्ध-न्यायिक आदेश है और प्रकृति में अर्ध-न्यायिक होने के नाते, इसे सीआईटी द्वारा केवल तभी वापस लिया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए अधिनियम के तहत उसे स्पष्ट शक्ति निहित हो। इस मामले में ऐसी कोई अभिव्यक्त शक्ति नहीं थी। दरअसल, धारा 12 ए के तहत सीआईटी द्वारा किए जाने वाले कार्य न तो विधायी हैं और न ही कार्यकारी, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वे अनिवार्य रूप से प्रकृति में अर्ध न्यायिक हैं। [पैरा 21 और 22] [487-सी-डी]

2. तीसरा, धारा 12ए के तहत पारित सीआईटी का आदेश सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित "आदेशों" की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 21 में नियोजित "आदेश" शब्द यह दिखाएगा कि ऐसा "आदेश" "अधिसूचना", "नियम" और "उप-नियमों" आदि की प्रकृति में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आदेश, जिसे धारा 21 को लागू करके संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, को प्रकृति में कार्यकारी या विधायी होना चाहिए, जबकि आदेश, जिसे सीआईटी को अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पारित करने की आवश्यकता है, न तो विधायी है और न ही कार्यकारी आदेश है, बल्कि यह एक "अर्ध न्यायिक आदेश" है। यही कारण है कि धारा 21 का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। [पैरा 23 और 24] [487-ई-जी]

3. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत, अधिसूचना या आदेश को रद्द करने की सामान्य शक्ति को विषय वस्तु, संदर्भ और क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, जिसके तहत अधिसूचना या आदेश जारी किया जाता है और औद्योगिक अवसंरचना के बाद शक्ति उपलब्ध नहीं है।

आयकर, ग्वालियर अधिसूचना

या आदेश के तहत एक प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, धारा 21 में अर्ध न्यायिक आदेश को बदलने या संशोधित करने या समीक्षा करने के लिए कोई आवेदन नहीं है। एक अर्ध न्यायिक आदेश को आम तौर पर विविध या समीक्षा की जा सकती है जब धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया जाता है या जब ऐसी शक्ति उस अधिनियम या नियमों द्वारा प्रदान की जाती है जिसके तहत इसे बनाया जाता है। [पैरा 25] [487-जी-एच; 488-ए-बी]

4. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) द्वारा 01.10.2004 से केवल धारा 12एए में उप-धारा (3) को अधिनियमित करके पहली बार पंजीकरण रद्द करने के लिए सीआईटी को एक स्पष्ट शक्ति प्रदान की गई थी और इसलिए सीआईटी द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल 01.10.2004 को और उसके बाद किया जा सकता था। अर्थात (आकलन वर्ष 2004-05) क्योंकि विचाराधीन संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था बल्कि प्रकृति में भावी था। [पैरा 27] [488-जी]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) बनाम समाज कल्याण संस्थान

और अन्य। (2002) 5 एससीसी 685: [2002] 3 एससीआर 1040- पर भरोसा किया।

आयकर निदेशक (छूट) बनाम मूल चंद

कैराती राम ट्रस्ट (2011) 243 सीटीआर (डेल) 245; वेल्हम

बॉयज स्कूल सोसाइटी बनाम सीबीडीटी, (2006) 285 आईटीआर 74;

ऑक्सफोर्ड एकेडमी फॉर करियर डेवलपमेंट बनाम आयकर

और अन्य के मुख्य आयुक्त। (2009) 315 आईटीआर

382 (सभी) - अनुमोदित।

बिहार राज्य बनाम डीएन गांगुली और अन्य। एआईआर 1958 एससी

1018: [1959] एससीआर 1191; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मध्य प्रदेश

अजय सिंह एआईआर 1993 एससी 825: [1992] 2 सपल एससीआर

274; घौरुल हसन वी। राजस्थान राज्य एआईआर 1967

एससी 107: [1962] 1 एससीआर 772; हरि शंकर जैन v. सोनिया

गांधी एआईआर 2001 एससी 3689: [2001] 3 सपल एससीआर 38

- संदर्भित।

संविधियों की व्याख्या, जी.पी. सिंह द्वारा नौवां संस्करण।

पेज 893 पर भरोसा किया गया।

केस लॉ रेफरेंस [2002] 3 एससीआर 1040 पैरा 23 [1959] एससीआर 1191 पर आधारित है, जिसे पैरा 26 [1992] 2 सप्लिमेंट्री एससीआर 274 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस [2018] 10 एस.सी.आर. के पैरा 26 में संदर्भित किया गया है।

[1962] 1 एस.सी.आर. 772 को [2001] 3 सप्लिमेंट्री के पैरा 26 में संदर्भित किया गया है। एससीआर 38 पैरा 26 (2011) 243 सीटीआर (डेल) 245 = अनुमोदित पैरा 28 (2006) 285 आईटीआर 74 अनुमोदित पैरा 28 (2009) 315 आईटीआर 382 (सभी) अनुमोदित पैरा 28 (2009) 315 आईटीआर 382 (सभी) अनुमोदित पैरा 28 (2009)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं० 6262/2010

एम.ए.आई.टी. सं० 6/2005 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के निर्णय व आदेश दिनांकित 14.03.2007 से।

श्रीमती रानी छाबड़ा, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, रूपेश कुमार, एच. आर. राव, सुश्री साधना संधू, सुश्री स्निधा मेहरा (श्रीमती अनिल कटियार के लिए), बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

अभय मनोहर सप्रे,न्यायमूर्ति 1. द्वारा दिया गया था। यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ग्वालियर में 2005 के विविध अपील (आयकर) संख्या 6 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और आईटीएटी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और आयकर आयुक्त के आदेश को बहाल कर दिया।

2. अपील में शामिल प्रश्न एक संकीर्ण दिशा में निहित है। हालांकि, इसकी सराहना करने के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

3. अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सीमित कंपनी है। यह राज्य सरकार का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास केन्द्रों/क्षेत्रों के विकास में राज्य को विकसित करने और सहायता करने, उद्योगों की स्थापना, वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और सहायता करने के उद्देश्य से की गई है। अपीलकर्ता आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत एक "आकलनकर्ता" है।

4. 10.02.1999 को, अपीलकर्ता ने पंजीकरण प्रदान करने के लिए आयकर आयुक्त (इसके बाद "सीआईटी" के रूप में संदर्भित) को अधिनियम की धारा 12-ए के तहत निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन दायर किया। अपीलकर्ता के अनुसार, चूंकि वे सार्वजनिक उपयोगिता औद्योगिक बुनियादी ढांचे में लगे हुए थे।

आयकर विभाग, ग्वालियर [अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति.]

उनके अनुसार, अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत धर्मार्थ उद्देश्य के लिए गतिविधि, वे अधिनियम की धारा 12 (ए) के तहत प्रदान किए गए पंजीकरण का दावा करने के हकदार थे। चूंकि पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी हुई थी, इसलिए अपीलकर्ता ने आवेदन दाखिल करने में देरी के लिए माफी के लिए एक आवेदन भी किया।

5. दिनांक 13.04.1999 के आदेश द्वारा, सीआईटी (ग्वालियर) ने देरी को माफ कर दिया और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया। पंजीकरण प्रमाण पत्र के खंड 3 में, यह उल्लेख किया गया था कि रिटर्न दाखिल करने के बाद छूट के दावे के गुण-दोष के आधार पर परीक्षा के लिए पूर्वाग्रह के बिना प्रमाण पत्र दिया जाता है।

6. दिनांक 27.11.2000 को सीआईटी ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें यह पूछा गया था कि अधिनियम की धारा 12क के तहत दिनांक 10.02.1999 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए/वापस ले लिया जाए। कारण बताओ नोटिस में पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस लेने के तथ्यात्मक आधार भी बताए गए हैं। अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। अपीलकर्ता

ने तदनुसार अपना जवाब दायर किया और उन आधारों का विरोध किया जिन पर प्रमाण पत्र की वापसी / रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया था।

7. दिनांक 29.04.2002 के आदेश द्वारा, सीआईटी ने अपीलकर्ता द्वारा अपने उत्तर में लिए गए रुख में कोई आधार नहीं पाया और तदनुसार अपीलकर्ता को जारी प्रमाण पत्र को रद्द / वापस ले लिया।

8. अपीलकर्ता ने व्यथित महसूस किया और 04.07.2002 को सीआईटी के समक्ष अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने/वापस लेने के सीआईटी के दिनांक 29.04.2002 के आदेश में एक त्रुटि स्पष्ट है और इसलिए, इसे सुधारने या / और वापस लेने की आवश्यकता है। यह तर्क दिया गया था कि एक बार सीआईटी धारा 12 ए के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो उसके पास करदाता को दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने या वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है।

9. 20.12.2002 को, सीआईटी ने अपीलकर्ता द्वारा संशोधन के लिए दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता को दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने के उसके आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी। दूसरे शब्दों में, सीआईटी ने माना कि उनके पास एक बार दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने की शक्ति थी और इसलिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश कानूनी और उचित है।

10. उक्त आदेश से व्यथित, अपीलकर्ता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आगरा पीठ के समक्ष अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर.दिनांक 26-08-2004 को आईटीएटी ने अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया और सीआईटी द्वारा पारित दिनांक 29-04-2002 के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके द्वारा उसने पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द/वापस ले लिया था।

11. राजस्व ने आईटीएटी के आदेश से व्यथित महसूस किया और अधिनियम की धारा 260-ए के तहत ग्वालियर पीठ में उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से राजस्व द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और आईटीएटी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और सीआईटी के आदेश को बहाल कर दिया।

12. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर भरोसा किया और कहा कि चूंकि अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए अधिनियम में कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है और इसलिए इस तरह के आदेश का समर्थन करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 से रद्द करने की शक्ति का पता लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय की राय में, धारा 21 सीआईटी द्वारा दिए गए प्रमाणन को रद्द करने की शक्ति का स्रोत है, जब अधिनियम की धारा 12 ए के तहत कोई स्पष्ट शक्ति उपलब्ध नहीं है।

13. यह इस आदेश के खिलाफ है, करदाता ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की।

14. अपीलकर्ता (निर्धारिती) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी (राजस्व) की ओर से श्री राधाकृष्ण, विद्वान वकील उपस्थित हुए।

15. राजस्व के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम अपील की अनुमति देने के इच्छुक हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए, आईटीएटी के आदेश को बहाल करते हैं।

16. इस अपील में विचार के लिए उठने वाले मुख्य प्रश्न चार हैं :

17. पहला, क्या सीआईटी के पास अधिनियम की धारा 12ए के तहत उसके द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने/वापस लेने/वापस लेने की शक्ति है और यदि हां, तो अधिनियम के किस प्रावधान के तहत?

18. दूसरा, जब सीआईटी अधिनियम की धारा 12ए के तहत निर्धारिती को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो क्या प्रमाण पत्र प्रदान करना उसका अर्ध न्यायिक कार्य है और यदि हां, तो इसका पंजीकरण प्रमाण पत्र के ऐसे अनुदान को रद्द करने की उसकी शक्ति के प्रयोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

19. तीसरा, क्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को अधिनियम की धारा 12 ए के तहत सीआईटी द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश का समर्थन करने के लिए लागू किया जा सकता है, यदि यह इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन निगम बनाम सीओएमएमएमआर में अभिनिर्धारित किया जाता है।

आयकर विभाग, ग्वालियर [अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति]

क्या अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत सीआईटी को पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की कोई स्पष्ट शक्ति उपलब्ध नहीं है? और

20. चौथा, दिनांक 01.10.2004 से वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 द्वारा धारा 12एए में उप-खंड (3) को शामिल करने वाले संशोधन का क्या प्रभाव है, जो सीआईटी को अधिनियम की धारा 12क के तहत निर्धारिती को दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने की स्पष्ट शक्ति प्रदान करता है।

21. हमारी सुविचारित राय में, सीआईटी के पास 01.10.2004 तक धारा 12ए के तहत निर्धारिती को उसके द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं थी। यही कारण है कि अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो सीआईटी को अधिनियम की धारा 12क के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने की शक्ति प्रदान करता हो। दूसरा, सीआईटी द्वारा धारा 12ए के तहत पारित आदेश एक अर्ध न्यायिक आदेश है और प्रकृति में अर्ध-न्यायिक होने के नाते, इसे सीआईटी द्वारा केवल तभी वापस लिया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए अधिनियम के तहत उसे स्पष्ट शक्ति निहित हो। इस मामले में ऐसी कोई अभिव्यक्त शक्ति नहीं थी।

22. वास्तव में, धारा 12क के अधीन सीआईटी द्वारा किए जाने वाले कार्य न तो विधायी हैं और न ही कार्यपालिका हैं, बल्कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वे अनिवार्य रूप से प्रकृति में अर्ध-न्यायिक हैं।

23. तीसरा, धारा 12ए के तहत पारित सीआईटी का आदेश सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित "आदेशों" की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 21 में नियोजित "आदेश" शब्द से पता चलेगा कि ऐसा "आदेश" "अधिसूचना", "नियम" और "उप-नियम" आदि की प्रकृति में होना चाहिए (देखें – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I) बनाम समाज कल्याण संस्थान और अन्य, 2002 (5) एस.सी.सी 685)।

24. दूसरे शब्दों में, आदेश, जिसे धारा 21 को लागू करके संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, प्रकृति में या तो कार्यकारी या विधायी होना चाहिए, जबकि आदेश, जिसे सीआईटी को अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पारित करने की आवश्यकता है, न तो विधायी है और न ही कार्यकारी आदेश है, बल्कि यह एक "अर्ध न्यायिक आदेश" है। यही कारण है कि धारा 21 का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

25. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत किसी अधिसूचना या आदेश को रद्द करने की सामान्य शक्ति को विषय वस्तु, संदर्भ और क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव के आलोक में समझा जाना चाहिए, जिसके तहत अधिसूचना या आदेश जारी किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 10 एससीआर के तहत लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त होने के बाद शक्ति उपलब्ध नहीं है।

अधिसूचना या आदेश। इसके अलावा, धारा 21 में अर्ध न्यायिक आदेश को बदलने या संशोधित करने या समीक्षा करने के लिए कोई आवेदन नहीं है। एक अर्ध न्यायिक आदेश को आम तौर पर विविध या समीक्षा की जा सकती है जब धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया जाता है या जब ऐसी शक्ति उस अधिनियम या नियमों द्वारा प्रदान की जाती है जिसके तहत इसे बनाया जाता है। (देखें विधियों की व्याख्या, जीपी सिंह द्वारा नौवां संस्करण पृष्ठ 893)।

26. व्याख्या के उपर्युक्त नियम पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने माना है कि सरकार के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के तहत एक बार किए गए संदर्भ को रद्द करने या प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। [देखें- बिहार राज्य बनाम डीएन गांगुली और अन्य। (एआईआर 1958 एससी 1018)]। इसी प्रकार, इसी सिद्धांत पर यह माना जाता है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के आवेदन में जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत आयोग के एकमात्र सदस्य के प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा पुनर्गठन के लिए जारी अधिसूचना में संशोधन या रद्द करने या बदलने का कोई आवेदन नहीं है, सिवाय इसके कि जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए लागू किया गया है। (देखें- मध्य प्रदेश राज्य बनाम अजय सिंह, एआईआर 1993 एससी 825)। नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए यह भी माना जाता है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 5 (1) सी के तहत जारी नागरिकता के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का सहारा लेकर पंजीकरण प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। एआईआर 2001 एससी 3689)। और अंत में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों का निर्माण करते समय यह व्यवस्था दी जाती है कि निर्वाचन आयोग सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का सहारा लेकर अधिनियम की धारा 29क के अंतर्गत किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द या रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि इस अधिनियम की धारा 29क (7) के अंतर्गत किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने का आयोग का निर्णय अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है। [देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) (सुप्रा)]

27. यह विवाद में नहीं है कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2004 (2004 का 23) द्वारा केवल

से धारा 12 एए में उप-धारा (3) को अधिनियमित करके पहली बार पंजीकरण रद्द करने के लिए सीआईटी को एक स्पष्ट शक्ति प्रदान की गई थी और इसलिए सीआईटी द्वारा ऐसी शक्ति का उपयोग केवल 01.10.2004 को और उसके बाद किया जा सकता था। अर्थात (आकलन वर्ष 2004-05) क्योंकि विचाराधीन संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था बल्कि प्रकृति में भावी था।

28. इस अपील में शामिल मुद्दा तीन उच्च न्यायालयों नामत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष औद्योगि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट कॉर्प बनाम सीओएमएनआर मामले में भी विचार के लिए आया था। आयकर निदेशक(छूट) बनाम मूल चंद कैराती राम ट्रस्ट का मामला (2011) 243 सीटीआर (डेल) 245, वेल्हम बॉयज स्कूल सोसाइटी बनाम सीबीडीटी (2006) 285 आईटीआर 74 (उत्तरांचल) के मामले में उत्तरांचल उच्च न्यायालय और ऑक्सफोर्ड एकेडमी फॉर करियर डेवलपमेंट बनाम मुख्य आयकर आयुक्त और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय। (2009) 315 आईटीआर 382 (इलाहाबाद)।

29. तीनों उच्च न्यायालयों ने इस मुद्दे की जांच करने के बाद, अधिनियम की धारा 12 ए और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के उद्देश्य के आलोक में कहा कि धारा 12 ए के तहत पारित सीआईटी का आदेश प्रकृति में अर्ध न्यायिक है। दूसरा, अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो सीआईटी को 01-10-2004 तक पंजीकरण रद्द करने की शक्ति प्रदान करता हो; और अंत में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का धारा 12 ए के तहत सीआईटी द्वारा पारित आदेश पर कोई लागू नहीं होता है क्योंकि यह आदेश प्रकृति में अर्ध न्यायिक है और इन सभी कारणों से सीआईटी के पास धारा 12 ए के तहत उनके द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जब तक कि 01.10.2004 से अधिनियम की धारा 12 एए (3) द्वारा सीआईटी को स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान नहीं की गई थी।

30. हमारा सुविचारित विचार है कि संबंधित मामलों में उपर्युक्त तीन उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून के अनुरूप है और तदनुसार हम उपरोक्त तीन निर्णयों में इन उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए उक्त दृष्टिकोण को अनुमोदित करते हैं।

31. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, अपील सफल होती है और अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और आईटीएटी के आदेश को बहाल किया जाता है।

32. कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीआईटी कानून के अनुसार मामले में अधिनियम की धारा 12 एए (3) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने की अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अंकित ज्ञान की अपील स्वीकृत।

Digitally signed by VIMLESH SAROJ
Date: 2023.10.27 16:04:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court